न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 118/2020
3. उनवान : सरकार जरिये डॉ0 नीता, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स दहमीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति (लि0) दहमीकलां तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्री शिवकुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा ग्राम बडी का खेडा पोस्ट बगरु वार्ड नं0 23, मैनेजर, मैसर्स दहमीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति (लि0) दहमीकलां तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. मैसर्स पटेल फॉस्केम प्रा0 लि0 4827, उपरडा इण्ड. एरिया, ग्राम उपरडा, झामरकोटा रोड, तहसील गिर्वा, उदयपुर–313901

4. निर्णय दिनांक : 24.11.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार ऐसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री संजय शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री आर.डी. सोनी अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक उपजिला सांगानेर, जयपुर डॉ0 नीता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 09–02–2015 को मैसर्स दहमीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, दहमीकलां तहसील सांगानेर के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया। दौराने निरीक्षण श्री शिवकुमार शर्मा उपस्थित रहे। प्रतिष्ठान पर नोटिस ऑफ इन्टेशन देकर एसएसपी उर्वरक (दानेदार) बैच नं0 RL/15/G87 का नमूना लिया गया। शील्ड नमूने में से एक शील्ड नमूना विक्रेता श्री शिवकुमार शर्मा को सुपुर्द किया गया। नमूने के शेष 2 नमूनों में से एक शील्ड नमूना उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को विश्लेषण हेतु प्रेषित करने व दूसरा शील्ड नमूना विधिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक कृषि जयपुर खण्ड जयपुर के कार्यालय में भिजवाये गये। उक्त उर्वरक नमूना प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 6910–12 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट 16% के बजाय 10.39% , एनएसीएस फॉस्फेट 16 प्रति. के स्थान पर 13.48 प्रतिशत एवं नमी 5 प्रतिशत के स्थान पर 7.61 प्रतिशत पायी गयी अर्थात निर्धारित मानक से कम/अधिक आने पर अमानक घोषित हुआ है। अमानक रिपोर्ट प्राप्त होने पर विक्रेता मैसर्स दहमीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 पर दिनांक 8.03.2016 को अमानक्र उर्वरक का भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें फर्म के पास अमानक उर्वरक के 353 बैग (प्रत्येक 50 किग्रा.) मौजूद पाये गये। उक्त अमानक उर्वरक को नियमानुसार दिनांक 09.03.2016 को जब्त किया गया। उक्त जब्ती उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्लॉज 28(3) के तहत अमानक पाये जाने पर की गई। प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा, नमूना रिपोर्ट, फर्द जब्ती, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 3

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

की ओर से अधिवक्ता आर0डी0 सोनी उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं होने पर दिनांक 4.9.2025 को जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.11.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 09–02–2015 को मैसर्स दहमीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, दहमीकलां तहसील सांगानेर के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया। दौराने निरीक्षण एसएसपी उर्वरक (दानेदार) बैच नं0 RL/15/G87 का नमूना लिया गया। नमूनों में से एक शील्ड नमूना उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर को विश्लेषण हेतु प्रेषित किया गया। उक्त उर्वरक नमूना प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 6910–12 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट 16% के बजाय 10.39%, एनएसीएस फॉस्फेट 16 प्रतिशत के स्थान पर 13.48 प्रतिशत एवं नमी 5 प्रतिशत के स्थान पर 7.61 प्रतिशत पायी गयी अर्थात निर्धारित मानक से कम/अधिक आने पर अमानक घोषित हुआ है। अमानक रिपोर्ट प्राप्त होने पर विक्रेता मैसर्स दहमीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 पर दिनांक 8.03.2016 को अमानक उर्वरक का भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें फर्म के पास अमानक उर्वरक के 353 बैग (प्रत्येक 50 किग्रा.) मौजूद पाये गये। जिन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्लॉज 28(3) के तहत जब्त किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही विधिक अनुरुप ना हो तथा जब्त उर्वरक को (मानक) वैध साबित करता हो। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त अमानक उर्वरक कुल 353 बैग (प्रत्येक 50 किग्रा.) को राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगानेर जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।